

प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 21.03.2025

गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कैण्ट संजय कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 172/2025 धारा 2(ख) की उपधारा (I)(IV)(VIII) (XI) /3(1) उ.प्र. गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से संबंधित अभियुक्त रामलखन जायसवाल को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ कूटचिह्न स्टाम्प पेपर को तैयार कर जनपद गोरखपुर व आस पास के जनपदों व उ0प्र0 राज्य के सीमावर्ती राज्यों में गलत तरीके से बेचा जाता था जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 14/2024 धारा 255,258,259,260,419,420,467,468,471,474,120बी भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता व आपराधिक इतिहास-

रामलखन जायसवाल पुत्र स्व0 हीरालाल निवासी दीवान बाजार निकट समय माता का मंदिर थाना कोतवाली गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 172/2025 धारा 2(ख) की उपधारा (I)(IV)(VIII) (XI) /3(1) उ.प्र. गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 14/2024 धारा 255,258,259,260,419,420,467,468,471,474,120बी भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. वरि0उ0नि0 विनोद कुमार सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 अवनीश कुमार पाण्डेय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. कां0 आशुतोष पाण्डेय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
5. कां0 आशीष चौधरी थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर